



प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान

Institute for Plasma Research

भाट, इन्दिरा पुल के निकट, गांधीनगर - 382 428 (भारत)

Bhat, Near Indira Bridge, Gandhinagar - 382 428 (India)

Web: www.ipr.res.in



Advt No. 04/2025

प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 के तहत स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन प्लाज्मा अनुसन्धान संस्थान में प्रशिक्षु (संशोधित) अधिनियम, 1973 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु पत्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संस्थान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग एवं जनरल स्ट्रीम (बी.कॉम/बी.ए/बी.बी.ए.) के उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षु प्रदान करता है।

नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षु की संख्या:

क्र.सं.	शाखा/अनुशासन	स्नातक (डिग्री)	तकनीशियन
1.	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	05	02
2.	सिविल इंजीनियरिंग	05	02
3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	05	05
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	05	02
5.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	05	05
6.	इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग	02	02
7.	जनरल स्ट्रीम (बी.कॉम/बी.ए/बी.बी.ए)	05	-
योग		32	18

स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए पात्रता मानदंड (डिग्री):

क्र.सं.	शाखा	योग्यता
1	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक या बी.ई.
2	सिविल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई
3	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई
4	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई
5	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई
6	इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल	इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई
7	जनरल स्ट्रीम (बी.कॉम/बी.ए/बी.बी.ए)	वाणिज्य/कला/व्यवसाय प्रशासन में स्नातक

तकनीशियन प्रशिक्षुओं के लिए पात्रता मानदंड (डिप्लोमा):

क्र.सं.	शाखा	योग्यता
1	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
2	सिविल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
3	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
4	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
5	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
6	इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल	इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

प्रशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा:

स्नातक प्रशिक्षुओं (डिग्री धारक) के लिए ₹13500/- प्रति माह (समेकित)
तकनीशियन प्रशिक्षुओं (डिप्लोमा धारक) के लिए ₹12000/- प्रति माह (समेकित)

प्रशिक्षण की अवधि:

प्रशिक्षुता की अवधि सभी प्रशिक्षुओं के लिए एक वर्ष है। संस्थान के पास प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार देने का कोई दायित्व नहीं होगा। प्रशिक्षुओं को किसी भी समय इस प्रशिक्षुता के आधार पर संस्थान से नियमित रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बोट) के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। <https://nats.education.gov.in> प्रशिक्षु प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार विषय और अधिसूचनाओं पर नवीनतम जानकारी के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन <https://nats.education.gov.in> पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट https://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html पर जाएं ताकि भर्ती संबंधी नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकें।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	06-05-2025
-------------------------------------	------------

सामान्य निर्देश

1.	जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2022 या उससे पहले डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
2.	आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को NATS पोर्टल (https://nats.education.gov.in/) पर पंजीकरण करना होगा और एक वैध पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।
3.	जो उम्मीदवार पहले ही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में कहीं और भाग ले चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
4.	जहां भी CGPA/SGPA या लेटर ग्रेड प्रदान किया गया हो, वहां उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों का समकक्ष प्रतिशत ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। उम्मीदवारों को अपने CGPA से प्रतिशत रूपांतरण का फॉर्मूला दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
5.	चयन पूरी तरह से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा, जो इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग योग्यता के अनुसार होगा। किसी भी अनुचित प्रभाव या सिफारिश के प्रयास से उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.	प्रशिक्षुओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण पूरी तरह से अपरेंटिस अधिनियम, 1961 और (1973 में संशोधित) अपरेंटिसशिप नियम, 1992 के प्रावधानों के तहत कड़ाई से संचालित किया जाएगा।
7.	आयु प्रमाण के रूप में केवल वही दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, जिनमें उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (SSLC), मैट्रिक प्रमाण पत्र या माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र।
8.	चयनित उम्मीदवारों की सूची आईपीआर की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
9.	चयनित आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम होगी और प्रमाणपत्रों/प्रशंसापत्रों, चिकित्सा फिटनेस आदि के बाद के सत्यापन के अधीन होगी।
10.	शिक्षता अवधि के दौरान आवास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रशिक्षुओं को स्वयं अपने आवास की व्यवस्था करनी होगी।
11.	दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन या शिक्षता की शुरुआत के समय कोई TA/DA प्रदान नहीं किया जाएगा।
12.	चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी प्रस्तुत की है , तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
13.	गलत या अधूरे आवेदन को स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
14.	परिशिष्ट/विलोपन/शुद्धिपत्र) यदि कोई हो (केवल संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे: https://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html
15.	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।
16.	प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रशिक्षु को IPR में किसी भी प्रकार के स्थायी रोजगार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
17.	आईपीआर केवल ईमेल के माध्यम से सभी पत्राचार करेगा और कोई डाक पत्राचार नहीं भेजा जाएगा।
18.	भर्ती से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए admin1section@ipr.res.in पर संपर्क करें

कार्यवाहक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी